

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु कैम्प सातड़ा

क्रमांक : प्र.गा.स./2021/ 185/2021

दिनांक : 16-11-2021

निर्णय:-


प्रार्थी श्री.....गोपालराम.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....श्रीवाराम.....
ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम.....सातड़ा.....पटवार मण्डल.....सातड़ा.....
तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्वत् 2071-74.....के खाता संख्या.....39.....में
खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति.....गोपाल.....अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है।
जिसे सम्मानजनक रूप से.....गोपालराम.....अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन
पत्र की जांच पटवारी हल्का.....सातड़ा.....से करवाने पर पटवारी ने.....गोपाल.....के
बजाय.....गोपालराम.....करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में.....गोपाल.....
के बजाय.....गोपालराम.....करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम
369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम.....सातड़ा.....
के खाता संख्या.....39.....में खातेदार/गैर खातेदार का नाम/जाति.....गोपाल.....
के स्थान पर सम्मानजनक रूप से.....गोपालराम.....दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार,
चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

उपखण्ड अधिकारी
चूरु



1881
16/11/2021


16/11/21
उपखण्ड अधिकारी,
(Land Record Officer)
चूरु

